

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(418)(1) परि/नियम/मु./2011/14578

जयपुर, दिनांक: 23/07/2020


जिला परिवहन अधिकारी
.....समस्त।

विषय: कार्यालय आदेश 03/2013 के क्रम में।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 की पालनार्थ विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/2011 दिनांक 22.02.2011, कार्यालय आदेश 03/2013 दिनांक 15.01.2013 एवं कार्यालय आदेश 15/2020 दिनांक 18.06.2020 में रिफ्लेक्टिव टेप निर्माताओं के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। इस संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 18526 एवं 30994 क्रमशः दिनांक 15.02.2013 एवं 17.12.2019 के द्वारा AIS:090-2005 मानक के रिफ्लेक्टिव टेप राज्य में परिवहन यानों पर नियमानुसार लगाने हेतु रिफ्लेक्टिव टेप निर्माताओं को अनुमति प्रदान की गई थी।

इस क्रम में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मैसर्स SYN Auto Solutions Pvt. Ltd. एवं Ajit Industries Pvt. Ltd. द्वारा AIS:090-2005 मानक के अनुरूप TAC & COP के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अतः पूर्व में अनुमत किए गए रिफ्लेक्टिव टेप निर्माताओं के अतिरिक्त मैसर्स SYN Auto Solutions Pvt. Ltd. एवं Ajit Industries Pvt. Ltd को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 की पालना में राज्य में परिवहन यानों पर निम्न ट्रेड मार्क/Trade Name के रिफ्लेक्टिव टेप नियमानुसार लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1- SYN
- 2- aipl Mntech



(आर.सी.यादव)

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक: प.7(418)(1) परि/नियम/मु./2011/14579-86
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

जयपुर,दिनांक: 23/07/2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक एवं अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. मैसर्स SYN Auto Solutions Pvt. Ltd., Gali No. 11, Kadipur industrial Area, Gurgaon, Haryana -122001.
7. मैसर्स Ajit industries Pvt. Ltd, 414/415 D-Mall 4th floor, Netaji Subhash Place, Opp. DTC Wazirpur, Depot -110034 , New Delhi
8. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)